दिनांक- 09.12.17

खण्डपीठ-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ

के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी अरविन्द्र एवं जसवंत सहित अधिवक्ता श्री

के0 के0 शुक्ला उप0।

फरियादी आकाश तोमर एवं आहत रोहन उप०। फरियादीगण की पहचान अधि० श्री एच०एन० माहौर द्वारा की गई।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का

डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

🚫 प्रकरण में आहत रोहन की आयु 18 वर्ष से कम है। रोहन की ओर से उसकी मां अनीता उपस्थित है। अनीता द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तृत कर रोहन की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

सर्वप्रथम द०प्र०सं० की धारा 320(4) के आवेदन पर विचार किया गया।

आहत रोहन की मां अनीता द्वारा रोहन की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है। अनीता रोहन की मां होकर उसकी प्राकृतिक संरक्षक है एवं रोहन की ओर से राजीनामा करने के लिए सक्षम है। अतः वाद विचार अनीता द्वारा प्रस्तुत आवेदन द0प्र0सं0 की धारा 320(4) स्वीकार किया गया एवं अनीता की रोहन की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।

उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है।

राजीनामा पर विचार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी अरविन्द के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा २९४, ३२५, ३२३ एवं 506 भाग–2 तथा आरोपी जसवंत जाटव के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 325 / 34 एवं 506 भाग –2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी आकाश एवं अनीता ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी अरविन्द को भा0दं0सं0 की धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग-2 तथा आरोपी जसवंत को भा0द0सं0 की धारा 294, 325/34 एवं 506 भाग -2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

## प्रकरण मे जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीट सदस्य. क.1–

क.2-

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क022 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ELINIZA BILIDIA BUATA

ATTACAN SALAN SALA